


संज्ञांक/706/अ0नि0वा0क0अ0प्र0स0/ट्रान्जिट हॉस्टल/आवंटन/शर्त/किराया/2022-23/राज्य कर लखनऊ।

कार्यालय-अपर निदेशक
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 07 सितम्बर, 2022

-: आदेश :-

राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में विभागीय अधिकारियों के अध्यासन के लिए उपलब्ध ट्रान्जिट हॉस्टल, कलाम छात्रावास व सुभाष छात्रावास में सुईट/कक्ष के आवंटन का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये जाने के उपरान्त ही सुईट/कक्ष का आवंटन किया जायेगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त छात्रावासों में सुईट/कक्ष का आवंटन कार्यालय समय में ही किया जायेगा एवं कार्यालय समय के उपरान्त सुईट/कक्ष का आवंटन उसी दशा में किया जायेगा जब आगन्तुक विभागीय अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को कार्यालय समय के बाद अपने आने की सूचना पूर्व में ही दी जा चुकी होगी।


(अनिल कुमार)
अपर निदेशक
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
लखनऊ।

पुष्टांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, राज्य कर, 30220, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक (नजारात) राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधोहस्ताक्षरी के अदकाश पर रहने अथवा अनुपलब्ध रहने की दशा में सुईट/कक्ष का आवंटन अधोहस्ताक्षरी से वार्ता करने के उपरान्त करना सुनिश्चित करें।
3. उप निदेशक, कम्प्यूटर, रा0क0अ0प्र0स0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. कार्यालय/ट्रान्जिट हॉस्टल/कलाम व सुभाष छात्रावास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

अपर निदेशक
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
लखनऊ।